न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–115/2012(2012/00019)223/दूदू

1. श्रीमती तीजां पत्नि मंगलचन्द
2. श्रीमती कमला पत्नि किशनलाल
3. श्रीमती गीता पत्नि नन्दलाल
4. श्रीमती धारा पत्नि रूपनारायण
5. पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल
6. लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी ग्राम कापडियाखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती दांखोदेवी पुत्री सुजाराम
2. श्रीमती जमना देवी पुत्री सुजाराम
3. श्रीमती शांतिदेवी पुत्री सुजाराम
4. श्रीमती गुलाब देवी पुत्री सुजाराम
5. श्रीमती भागोत देवी पुत्री सुजाराम
6. श्रीमती गोदी देवी पुत्री सुजाराम
7. श्रीमती नन्दूदेवी पुत्री सुजाराम
8. श्रीमती भूली देवी पुत्री सुजाराम
9. श्रीमती फूलादेवी पत्नि धन्नालाल
10. छीतर पुत्र धन्ना
11. राजू पुत्र धन्ना
12. सीताराम पुत्र धन्ना
13. रामलाल पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी ग्राम कापडियाखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2011, वाद संख्या 149/2005 विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू।

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश जैन/भवानीसिंह रावत एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री हगामी लाल चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 13 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–22.02.2019

01. अपीलांटस ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी दूदू, के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2011, वाद संख्या 149/2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 की ओर से एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खतौनी संख्या 25 की आराजी खसरा संख्या 140 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 293 रकबा 05 बीघा, 295 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम कापडियाखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित हैं। जिसमे वादीया संख्या 1 लगायत 8 प्रत्येक का 1/10 – 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/10 हिस्सा है, के अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है एवं लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। वादीगण के पिता सुजाराम के स्वर्गवास के फौती का विरासत का नामान्तरण संख्या 99 व 109 राजस्व कारकुनानो से साजकर हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानो को नजरअन्दाजी करते हुवे अकेले वादीगण की माता श्रीमती मोहर देवी एवं दोनो भाईयो प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 5 रामलाल के 1/3, 1/3 हिस्से का अपने हक मे खुलवा कर तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेखो मे अमल दरामद कर लिया। इसलिए वादीगण ने उक्त वाद धोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (4)सी.पी.सी. पेश किया। दिनांक 07–03–2006 को पैरोकार उपस्थित जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील व स्वंय प्रतिवादी संख्या 6 से 11 उपस्थित नही होने से कार्यवाही एकतरफा अमल मे लायी गयी। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश हुआ। पत्रावली वास्ते बहस नियत वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की बहस सुनी गयी। तहत वाद दर्ज कर बिना प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये एवं बिना नोटिस जारी किये एक तरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर बिना तनकियात कायम किये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–05–2011 द्वारा अपीलांटस द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदशुदा आराजी 1/3 हिस्से के बजाय 1/10 दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 की ओर अभिभाषक उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 09 से 13 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्षो की अपील मे बहस सुनी गयी।

04. विद्धान अभिभाषक अपीलांटस ने दौरान बहस अपील में कथन किया कि अपीलांटस ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.1992 को रिकार्डेड खातेदार राम लाल पुत्र सूजाराम से खरीद की थी। वर्ष 1992 से अपीलांटस का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं और खरीदशुदा विवादित आराजी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया था। रेस्पोडेन्टस का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाबदावा देकर वाद को डिक्री कराया है जो स्पष्टतया मिलीभगत से उक्त निर्णय किया गया। रेस्पोडेन्टस द्वारा वर्ष 2005 में वाद प्रस्तुत किया गया जबकि सूजाराम से प्राप्त की गयी आराजी अलग–अलग रेस्पोडेन्टस को जरिये नामान्तकरण संख्या 99 व 109 के प्राप्त हुई थी तथा आराजी को बय करने के पश्चात नियत में फर्क आने से उक्त वाद प्रस्तुत किया गया तथा रेस्पोडेन्टस का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है न ही कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई बल्कि वर्ष 1992 से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी पर वैधानिक रूप से काबिज काश्त है बिना कब्जे के घोषणा का वाद पोषणीय नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित किया हैं जो खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण बहस हेतु नियत नही था बल्कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब एवं निर्णय हेतु लम्बित था जिस पर बहस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

होनी शेष थी किन्तु उक्त प्रार्थना पंत्र को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीाकर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2011 निरस्त फरमायी जावें।

06. किन्तु सभी का उक्त आराजीयात में से 1/11–1/11 हिस्सा था। प्रतिवादी विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौरान जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार वादीगण के पिता सुजाराम थे तथा सुजा राम के स्वर्गवास के बाद वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता स्वर्गीय धन्नालाल व सुजाराम की पत्नि श्रीमती मोहरी देवी संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे संख्या 01 के पति व सुजाराम की पत्नि श्रीमती मोहरीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा सुजाराम की पत्नि श्रीमती मोहरी देवी का भी स्वर्गवास हो चुका था इसलिए वादीगण प्रत्ये का 1/11–1/11 हिस्से के बजाय अब 1/10–1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 को 1/10 हिस्सा निहित है। नामान्तकरण संख्या 99 व 100 राजस्व कारकुनानों से साजकर हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अकेले वादीयागण की माता श्रीमती मोहरीदेवी व दोनों भाईयों प्रतिवाद 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 से 4 के पिता धन्नालाल व प्रतिवादी संख्या 05 रामलाल के 1/3–1/3 हिस्से का अपने हक में नामान्तकरण तस्दीक करा लिया एवं राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करा लिया जो शून्य तथा बातिल व बेअसर हैं, क्योंकि रामलाल पुत्र सुजाराम को केवल 1/10 हिस्से की आराजी का बेंचान करने का अधिकार था न कि 1/3 हिस्से का। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2011 विधि सम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की हैं। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं इसलिए खारिज की जावें।

05. सर्व प्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही काउन्टर शपथ पत्र पेश किया है। इसलिए अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

06. अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार सुजा राम थे उसकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान का 1/11–1/11 हिस्सा बनता था तथा सुजाराम की पत्नि मोहरी का स्वर्गवास हो चुका था। इस प्रकार शेष वारिसान का 1/10–1/10 हिस्सा बनता हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 05 रामलाल पुत्र सुराजराम ने अपने हिस्से 1/10 से अधिक भूमि 1/3 का बेचान प्रतिवादी संख्या 6 से 11 को किया है। इस प्रकार रामलाल को सुजाराम की विरासत से जो भूमि प्राप्त हुई उससे अधिक के हिस्से का बेचान करने का अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य गवाहान ने अपने बायानों में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 6 से 11 को विक्रय की भूमि पर भी वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि कारित नही की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–05–2011, राजस्व वाद संख्या 149/2005 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती हैं।

07. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती हैं तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2011, वाद संख्या 149/2005 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

22/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08 आदेश आज दिनाक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर